बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

आदेश सं0– 5/श्रम स्था0 (2)– 12/2015 श्र0सं0–   पटना, दिनांक–

योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक– 710 दिनांक– 10.02.2015 के आलोक में नवप्रवर्तन के आधार पर नवीन विचारों तथा प्रक्रियाओं को सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए श्री अजय कुमार चौधरी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में नवप्रवर्तन कोषांग (Innovation Cell) का गठन किया जाता है । कोषांग के अन्य पदाधिकारी के रूप में श्री पंकज दीक्षित, भा0 प्र0 से0, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना एवं श्री देव नन्दन यादव, अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है ।

(2) उक्त कोषांग निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा :–

(i) विभाग के अन्तर्गत नवाचार की पहचान करना तथा ऐसे नवाचारों की सूची का निर्माण करना ।
(ii) विभाग में पहचान किये गए नवाचार का मूल्यांकन करना ।
(iii) नवाचार को उपयोगी पाये जाने पर विभाग के कार्यक्रमों में उसका उपयोग करना ।
(iv) नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ।
(v) परिचर्चा सेमिनार तथा संगोष्ठियों के माध्यम से विभाग के नवप्रवर्त्तन का प्रचार–प्रसार करना ।
(vi) विभाग में किये गये नवाचार के प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट/ मॉडल/ प्रोटोटाईप आदि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृति हेतु ठोस प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराना ।

(3) उक्त कोषांग को किसी प्रशाखा से सम्बद्धता के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायगा ।

(4) प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 (2)– 12/2015 श्र0सं0– 837   पटना, दिनांक– 25.3.15

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रति में)/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
25/3/15